न्यायालय – अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश संख्या– 4, अजमेर
पीठासीन अधिकारी – ऋतु मीणा, आर.जे.एस.
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)
प्रथम सूचना संख्या : 241/2025, पुलिस थाना रामगंज, अजमेर
अपराध अंतर्गत धारा : 318(4),319(2),336(2)(3),338,340(2),61(2)
भारतीय न्याय संहिता
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या : 272/2026

कैलाशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल, उम्र 43 वर्ष, निवासी हस्ती विहार कॉलोनी, कंचन नगर, दौराई पुलिस थाना रामगंज, जिला अजमेर

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये लोक अभियोजक, अजमेर।

––अप्रार्थी

**जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता**

उपस्थिति–
1. श्री पवन कुमार पांचाल, विद्वान अधिवक्ता वास्ते प्रार्थी/अभियुक्त
2. श्री गुलाम नजमी फारूकी, विद्वान अपर लोक अभियोजक वास्ते राजस्थान राज्य

आदेश दिनांक – 19.03.2026

01– प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 480 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता विद्वान विचारण न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 5, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो जरिए आदेश दिनांकित 11.03.2026 खारिज किया गया। उक्त आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से हस्तगत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता माननीय न्यायालय सेशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जो विधिवत सुनवाई एवं निस्तारण हेतु जरिए अंतरण इस न्यायालय को प्राप्त हुआ, जिसकी नकल अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस प्रार्थना–पत्र सुनी। केस डायरी का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

02– प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादिया श्रीमती ममता बालानी का परिवाद दिनांक 11.08.2025 को जरिये पुलिस अधीक्षक अजमेर से धारा 173(4) बीएनएसएस के तहत पुलिस थाना रामगंज को इस आशय का प्राप्त हुआ कि उसके स्व. माता–पिता श्री केशव जी माखिजा एंव स्व. श्रीमती शीला माखिजा की क्रयशुदा कृषि भूमि ग्राम दौराई तहसील व जिला अजमेर में स्थित है जो कि दो भूखण्ड

क्रमशः 499.72 वर्गगज व 399.43 वर्गगज के है, जो कि दिनांक 27.08.1993 को पंजीकृत विक्रय पत्र द्वारा श्री टहलराम पुत्र श्री नन्दीराम निवासी शोरग्रान मौहल्ला अजमेर के मुख्त्यारआम श्री शाहबुद्दीन खान पुत्र श्री नूर मोहम्मद ग्राम खानपुरा अजमेर से क्रयशुदा भूमि है जो खाता संख्या–253 व खसरा संख्या–363, 364, 375 में 376 का भाग है एंव उसके स्व. माता–पिता के जीवनकाल से ही क्रयशुदा भूमि की देखरेख वह ही करती आ रही है, जिस पर बाउण्ड्री भी उसके द्वारा ही निर्मित कराई गई है तथा उसके माता–पिता के स्वर्गवास के बाद उक्त भूमि की वह एक विधिक वारिस है और उसके अलावा उसके भाई प्रेम माखिजा एव राजेश माखिजा भी विधिक वारिसान है तथा आज दिनांक तक उपरोक्त भूमि पर काबिज चले आ रहे है। कुछ समय पूर्व उसे ज्ञात हुआ कि उक्त भूमि का कुछ भू–माफिया मिलकर फर्जी दस्तावेज तैयार कर विक्रय करने की ताक में चल रहे है, जिसके चलते उसके द्वारा एक आम सूचना दिनांक 13.02.2025 को अखबार में भी प्रकाशित करवाई गई थी और आमजन को सूचित भी किया था। कल उसे उसके जानकार द्वारा बताया गया कि उसकी उक्त भूमि की जालसाजीपूर्वक विक्रय पत्र का पंजीयन करा लिया गया है तथा उक्त विक्रय पत्र की प्रति प्राप्त होने पर ज्ञात हुआ कि रमेशचन्द पुत्र कुंदनदास निवासी नाथ जी की बगीची उसरी गेट अजमेर द्वारा कैलाशचन्द पुत्र रामेश्वरलाल निवासी दौराई अजमेर व खालिद मोहम्मद पुत्र अब्दुल लतीफ निवासी हरिजन बस्ती खानपुरा चिश्ती नगर अजमेर व गौरु खान पुत्र मुमताज खान निवासी 320 नई बस्ती लोहाखान अजमेर के हक में उसकी उक्त भूमि का पंजीयन दिनांक 21.04.2025 को करवा लिया गया है एंव उक्त पंजीयन पर बतौर गवाह बरकत अली पुत्र हैदर अली निवासी 11/52 वस्कत भवन सर्वेश्वर नगर लोहाखान अजमेर एव आशिक मिया पुत्र बुंद खान निवासी नई बस्ती लोहाखान अजमेर द्वारा हस्ताक्षर किये गये है तथा उक्त फर्जी रजिस्ट्री के आधार पर उसकी उक्त भूमि को अन्य किसी को विक्रय करने का प्रयास कर रहे है। उसके माता–पिता द्वारा उक्त भूमि सन् 1993 से विक्रय करने के पश्चात से उनके एंव उनके स्वर्गवास के पश्चात उसके एंव उसके भाईयो के कब्जेकाश्त में चली आ रही है एंव उसके माता पिता एंव उन्होंन ही उक्त भूमि पर बाउण्ड्रीवाल का भी निर्माण कर रखा है परन्तु उस क्षेत्र में इन भू–माफियाओ द्वारा कई लोगो की सम्पत्तियों पर अवैध रूप से जालसाजी कर फर्जी दस्तावेज तैयार कर उनके साथ धोखाधड़ी कारित कर उनकी सम्पत्तियों हडप ली है............. इत्यादि।

03– उक्त परिवाद पर पुलिस थाना रामगंज पर अभियोग संख्या 241/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 336(3), 338, 61(2) बी.एन.एस. में दर्ज कर अनुसंधान प्रारम्भ किया एवं अब तक के अनुसंधान में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 318(4),

319(2), 336(2)(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का अपराध बनना पाया गया है।

04– बहस प्रार्थना–पत्र सुनी गई।

05– दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त ने प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए मुख्य रूप से यह तर्क दिये कि प्रार्थी/अभियुक्त को प्रकरण में पुलिस द्वारा झूठा फंसाया गया है तथा प्रार्थी पूर्णतया निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त ने उक्त सम्पत्ति पूर्ण प्रतिफल राशि अदा कर क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है एवं प्रार्थी सद्भाविक क्रेता है, जिसको प्रकरण मे झूठा फंसाया गया है। मामला सिविल प्रकृति का है, जिसे फौजदारी प्रकरण बनाने का प्रयास किया गया है एवं प्रार्थी को झूठा लिप्त किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी शेष नहीं है। प्रार्थी से किसी प्रकार का कोई अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की पूर्ण संभावना है। प्रार्थी के अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर संकट उत्पन्न हो जायेगा। प्रार्थी/अभियुक्त अपने परिवार का एकमात्र कमाने वाला व्यक्ति है, ऐसी स्थिति में उसके अधिक समय तक न्यायिक अभिरक्षा में रहने से उसके परिवार पर विपरीत प्रभाव पडेगा। अन्य सहअभियुक्त खालिद अहमद की जमानत याचिका माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के द्वारा दिनांक 13.03.2026 को स्वीकार की जा चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त पर आरोप उससे भिन्न नहीं हैं। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जहां से उसके पलायन की कोई संभावना नही है। प्रार्थी/अभियुक्त माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उसे जमानत पर रिहा करने का निवेदन किया।

06– इसके विपरीत विद्वान अपर लोक अभियोजक व अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का कड़ा विरोध करते हुए अपराध की गंभीरता को देखते हुए प्रार्थी/अभियुक्त के जमानत प्रार्थना–पत्र खारिज करने की प्रार्थना की।

07– दोनों पक्षों के तर्कों को सुना गया एवं केस डायरी का अवलोकन किया गया। मुताबिक केस डायरी प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध निम्न पूर्व अपराधिक रिकार्ड है –

क्र स	मुकदमा नम्बर	धारा व थाना	सी एस नम्बर	विवरण
01	334/2013	379 भादस, रामगंज	307/2013, 06.11.2023	दोषमुक्त 01.07.2016, जेएम संख्या 1, अजमेर
02	376/2022	279, 337, 338 भादस, रामगंज	385/2022, 05.11.2022	पेंडिंग न्यायालय

08– प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध को अन्य साथी मुलजिमान के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र रचकर गलत व्यक्ति रमेशचंद पुत्र कुंदनदास की जगह रमेशचंद पुत्र भूगडामल को उपस्थित कर कूटरचित पंजीबद्ध विक्रय पत्र लोक सेवक के समक्ष निष्पादित करने के तहत 318(4), 319(2), 336(2)(3), 338, 340(2), 61(2) भारतीय न्याय संहिता के तहत प्रथम दृष्टया आरोप है। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 03.03.2026 से न्यायिक अभिरक्षा में है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रकरण प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वारा विचारणीय है। प्रकरण के अन्य सहअभियुक्त खालिद अहमद जमानत माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के द्वारा जरिये आदेश दिनांक 13.03.2026 स्वीकार की जा चुकी है। अतः प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

09– परिणामस्वरूप प्रार्थी/अभियुक्त कैलाशचंद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता स्वीकार कर आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी/अभियुक्त अन्य प्रकरण में वांछित न हो तो विद्वान विचारण न्यायालय के सन्तोषप्रद 50,000 रूपये की राशि का स्वयं का बंध पत्र एवं 25,000–25,000 रूपये की दो जमानतें इस आशय की प्रस्तुत कर तस्दीक करा देवे कि वह प्रत्येक तारीख पेशी पर नियमित रूप से न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तो प्रार्थी/अभियुक्त इस प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

10– उक्त आदेश की एक प्रति माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा SMWP (CRIMINAL) NO. 4/2021 IN RE POLICY STRATEGY FOR GRANT OF BAIL में पारित आदेश दिनांक 31.01.2023 की पालना में मुलजिम को उपलब्ध कराने हेतु जरिये ई– मेल अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, अजमेर को प्रेषित की जावे।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

11– आदेश आज दिनांक 19.03.2026 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(ऋतु मीणा)
अपर जिला एंव सेशन न्यायाधीश
संख्या 4, अजमेर

JAMSHEED AHMED
Digitally signed by JAMSHEED AHMED
Date: 2026.03.28 14:47:43 +0530

Authenticated Document